भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं0-टी0 ए0 मिस वाद सं0- 214B/2017-18

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b)

विरेन्द्र महतो ....आवेदक / विक्रेता

बनाम

1. मनजुड़ा महतो 2. सुरज महतो..................................क्रेता

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

26-10-19

विक्रेता :- विरेन्द्र महतो पिता गौर हरि महतो, ग्राम–फतुआकुदर, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड), जाति–कुर्मी।

क्रेता :- 1.मनजुड़ा महतो पति कान्हुराम महतो, ग्राम–बिटापुर, थाना–खरसावाँ, 2.सुरज महतो पिता कान्हुराम महतो, आदर्श नगर, पी.एच.डी0 कॉलोनी, बुटी, राँची, जाति–कुर्मी।

विक्रेता द्वारा दिनांक 15.10.18 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता 1.मनजुड़ा महतो पति कान्हुराम महतो, ग्राम–बिटापुर, थाना–खरसावाँ, 2. सुरज महतो पिता कान्हुराम महतो, आदर्श नगर, पी.एच.डी. कॉलोनी, बुटी, राँची को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :–

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना / थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
सोहनडीह	सरायकेला / 172	26	72	2डी0
			73	8डी0
			कुल–	**10डी0**

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सरायकेला से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सरायकेला का पत्रांक 1441 दिनांक 02.08.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के दादाजी के नाम पर खतियान में दर्ज है।
2. बिक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा–2.14 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोधन हेतु भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. क्रेता नं0–1 एवं 2 ग्राम–बीटापुर, थाना–खरसावाँ के निवासी भी है।
6. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला एवं जाति–'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते है।

लगातार...............2

Scanned with CamScanner

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सरायकेला ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2018 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सरायकेला के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता विरेन्द्र महतो पिता गौर हरि महतो, ग्राम–फतुआकुदर, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) क्रेता 1.मनजुड़ा महतो पति कान्हुराम महतो, ग्राम–बिटापुर, थाना–खरसावाँ, 2. सुरज महतो पिता कान्हुराम महतो, आदर्श नगर, पी.एच.डी. कॉलोनी, बुटी, राँची को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा– 10डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

26/10/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

26/10/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner